अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांकः एफ 27(43)ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/M-I/विविध/2016–17 जयपुर, दिनांक 12 जनवरी, 2017

जिला कलेक्टर,
समस्त।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2016–17 के लक्ष्य अर्जित करने की कार्ययोजना बाबत्।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 के 4.31 लाख आवास के लक्ष्य वर्गवार/जिलेवार आवंटित किये जा चुके है। राज्य में योजना का शुभारम्भ माह जनवरी, 2017 में जिला बांसवाडा से सम्पूर्ण राज्य में माननीय मुख्यमंत्री के करकमलों द्वारा प्रस्तावित है।

शुभारम्भ एवं राज्य को आवंटित लक्ष्यों की शत प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावें :–

1 राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय स्तर पर दिनांक 16.01.2017 तक दो दिवसीय कैम्प का आयोजन कर लाभार्थियों के आवेदन पत्र तैयार कर, ग्राम पंचायत स्तर से ही पंजीकरण एवं स्वीकृति का कार्य पूर्ण करवाया जावें। इस हेतु आवश्यक अतिरिक्त कम्प्यूटर कार्मिकों के सम्बन्ध में आदेश दिनांक 10.01.2017 (प्रति संलग्न) के द्वारा प्रसारित किये जा चुके है।

2 पंजीकरण में कृषि भूमि से सम्बन्धित दस्तावेज के सत्यापन हेतु राजस्व विभाग द्वारा ऑन–लाईन उपलब्ध जानकारी का उपयोग किया जावें। इस हेतु पटवारी पर निर्भर नहीं रहा जावें।

3 पूर्व में लाभार्थियों के तैयार आवेदन पत्रों का यथासम्भव उपयोग करते हुए अन्य कोई अतिरिक्त दस्तावेज आवश्यक हो तो ही लिए जावें।

4 आवास हेतु लाभार्थी के पास स्वयं की भूमि अनुपलब्ध हो तो पात्र परिवारों को नियमानुसार आवासीय भू–खण्ड आवंटित कराया जावें। ग्राम पंचायतों द्वारा भूमिहीन लाभार्थियों को निःशुल्क भूमि आवंटन के प्रावधान के तहत ग्राम पंचायत में आबादी भूमि उपलब्ध नहीं होने पर भूमि की आवश्यकता (Conversion) के सम्बन्ध में जिलों को प्रस्ताव प्रेषित किये जाते है। इस तरह के प्राप्त प्रस्तावों पर की गई कार्यवाही से विभाग को अवगत कराया जावें।

5 पंजीकृत लाभार्थियों की स्वीकृतियां नियमानुसार पात्रता सम्बन्धित जॉच उपरान्त जारी कर दी जावें। जिन्हें योजना शुभारम्भ समारोह दिवस के दिन वितरित किया जावें।

6 महात्मा गांधी नरेगा से स्वीकृतियां उपरान्त अविलम्ब उसी सप्ताह में अनिवार्य रूप से मस्टररोल जारी की जावें एवं प्रथम किश्त की राशि बैंक खाते के सत्यापन उपरान्त तुरन्त जारी कर दी जावें।

7 सभी लाभार्थियों के बैंक खाते सीबीएस आधारित शिड्यूल्ड बैंकों में ही खोले जावें। अन्य किसी प्रकार के यथा सहकारी बैंक/पोस्ट ऑफिस/समितियों के खाते फ्रिज नहीं किये जावें।

12/1/17

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंरावि।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
7. वित्तीय सलाहकार, ग्रावि।
8. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एवं मू), ग्रावि को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करवाने हेतु।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।

12/1/17

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

MOST-URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(24) ग्राविवि/ग्रुप–5/लेखा/PMAY-G/प्र.व्यय./2016–17 दिनांक 10 जनवरी, 2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् (ग्राविप्र) समस्त,
राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 हेतु आवंटित लक्ष्य अनुसार अभियान के रूप में लाभार्थियों के पंजीकरण, स्वीकृति जारी कराने बाबत्।
प्रसंग :– समसंख्यक पत्र दिनांक 21 जून, 2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण/इन्दिरा आवास योजना के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर पर योजना के सफल संचालन, गुणवत्ता, पर्यवेक्षण एवं निगरानी हेतु योजना के दिशा–निर्देशानुसार प्रशासनिक मद में अनुमत राशि द्वारा अनुमत मदों के अधीन आवंटित लक्ष्यों के क्रम में आवश्यकतानुसार किराये के वाहन तथा आवाससॉफ्ट हेतु डाटा एन्ट्री ऑपरेटर रखने की स्वीकृति वर्णित शर्तों के अधीन दी गई है। इसी क्रम में विभागीय पत्र दिनांक 02 जनवरी, 2017 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 हेतु (वर्ष 2017–18 के प्रस्तावित लक्ष्यों सहित) संशोधित लक्ष्य आवंटित कर लक्ष्यानुसार अभियान के रूप में लाभार्थियों के पंजीकरण, स्वीकृति जारी कराने बाबत निर्देशित किया गया है।

इन्दिरा आवास योजना में वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक जारी 4.86 लाख आवास स्वीकृतियों के विरूद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में ही 4.31 लाख आवास का लक्ष्य आवंटित है अर्थात् गत पांच वर्षों के लक्ष्यों के लगभग स्वीकृतियां एक वर्ष में ही जारी होनी है। उक्तानुसार लक्ष्यों में बढोतरी एवं समय की कमी एवं ऑन–लाईन पंजीकरण, स्वीकृति एवं किश्त हस्तान्तरण की प्रकिया के मध्यनजर जिलों को ग्रामपंचायत स्तर पर पंजीकरण, स्वीकृति एवं किश्त हस्तान्तरण कार्य हेतु प्रासंगिक आदेश की शर्तों के अध्याधीन ग्राम पंचायत स्तर पर आवंटित लक्ष्यों के परिपेक्ष्य में आवश्यकता अनुसार जॉब आउट सोंर्सिग बेसिस पर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर रखे जाने की स्वीकृति अधिकतम एक माह हेतु निम्न शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है :–

1. वर्ष 2016–17 में 100 से अधिक आवास के लक्ष्य वाली ग्राम पंचायतों में आवश्यकता होने पर अधिकतम एक माह हेतु जॉब आउट सोंर्सिग बेसिस पर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर लगाये जावें।
2. यदि ऐसी ग्राम पंचायतों में इन्टरनेट कनेक्शन की सुविधा नहीं हो तो आवश्यक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर क्लस्टर ग्राम पंचायत स्तर पर नियोजित किया जावें।

3. 4/5 ग्राम पंचायतों के क्लस्टर बनाकर योजना के दिशा–निर्देशानुसार आवासों का क्लस्टर टैग अधिकारी (जेईएन/जेटीए/पीईओ) बनाया जाकर आवाससॉफ्ट पर स्वीकृति के साथ ही लाभार्थी को टैग अधिकारी का नाम व मोबाईल नम्बर अंकित किया जाना है। इस क्रम में क्लस्टर पंचायतों को कुल आवंटित लक्ष्य 300 आवास से अधिक होने पर क्लस्टर पंचायत पर क्लस्टर के अधीन सभी पंचायतों के लाभार्थियों का पंजीकरण कराने के लिए एक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर क्लस्टर ग्राम पंचायत स्तर पर टैग अधिकारी के अधीन लगाया जा सकेगा।
4. इन्दिरा आवास योजना के कियान्वयन में सहयोग के लिए राजीविका के साथ सम्पादित एमओयू की शर्तों के अधीन प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के लाभार्थियों के पंजीकरण, किश्त हस्तान्तरण आदि बाबत् सहयोग की सम्भावनाओं की समीक्षा कर कार्यवाही की जावें।

उल्लेखनीय है कि आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत DoIT के अधीन SSDG के तहत नागरिक सेवा केन्द्र/ई–मित्र पर राशि रू. 30 का भुगतान कर आवेदन पत्र/किश्त आवेदन पत्र आदि ऑन–लाईन कराने हेतु विभागीय निर्देश लागू है (प्रति संलग्न है)। उक्त निर्देशों के क्रम में भी नागरिक सेवा केन्द्र/ई–मित्र केन्द्रों के सहयोग से आवाससॉफ्ट पर ग्राम पंचायत द्वारा पंजीकरण का कार्य निर्देशानुसार कराया जा सकता है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत/पंचायत समितिवार आवंटित लक्ष्यों की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार पंजीकरण का कार्य अभियान के रूप में सम्पादित कराने की व्यवस्था हेतु योजना के प्रशासनिक मद से जिला स्तर पर आवश्यकतानुसार ई–मित्र/सीएससी सेन्टर के माध्यम से अथवा ग्राम पंचायत/क्लस्टर पंचायत स्तर पर जॉब आउट सोंर्सिंग बेसिस पर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर लगाकर आवंटित लक्ष्यानुसार पंजीयन, स्वीकृति कार्य दिनांक 25.01.2017 तक सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

10/1/17

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंरावि।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
7. वित्तीय सलाहकार, ग्रावि।
8. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एवं मू), ग्रावि को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करवाने हेतु।
9. जिला कलक्टर, समस्त।
10. सीओएम, राजीविका एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् डूंगरपुर को पूर्व में निष्पादित एमओयू के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के कियान्वयन बाबत्।
11. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।

10/1/17

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)